

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/2263/

जबलपुर, दिनांक 27/09/2017

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित भृत्य को वाहन चालक के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200+ग्रेड पे रू 1900/- में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परिचीक्षा अवधि पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर वाहन चालक के पद पर पदोन्नत/नियुक्त किया जाता है -

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पदनाम	टीप
1	2	3	4
1	श्री प्रशांत मेहत, भृत्य (निर्वातमान सेट)	वाहन चालक	रिक्त पद पर
2	श्री अरविंद कृष्णाहा, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
3	श्री रामशरण बाश, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
4	श्री संजय श्रीवास्तव, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
5	श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
6	श्री सुनील कुमार मिश्रा, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
7	श्री सुनील कुमार वर्मा, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
8	श्री मनीष अल्बर्ट, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर

- यह कि, वे शपथ ले कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें उसकी सूचना रजिस्ट्री को एक माह पूर्व देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
- यह कि, उनकी सेवाएं पूर्णतः अस्थाई हैं तथा वे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।
- यह कि, उनकी नियुक्ति इस उपबंध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता एवं नेत्र परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र का व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा।
- यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायाधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
- यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्रार जनरल अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगे।
- यह, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ-सुथरी या सुरक्षित रखने एवं समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुसार डिस्टिटल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- यह कि, नियमानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायसेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायसेंस अपने पास रखें।
- यह कि उन्हें घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के श्रीदेशान्तर

sd/-

(मो फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/2265 /

जबलपुर, दिनांक २७/०९/२०१७

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित भृत्य/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त (वर्गीकरण नियंत्रण अपील तथा आचरण) नियम १९९६ के नियम २१ में प्रदत्त शक्तियों के तहत नियम ५(४) के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षणिक अर्हता दसवीं उत्तीर्ण संबंधी शर्त को शिथिल करते हुए वाहन चालक के पद पर वेतनमान रूपये ५२००-२०२०० ग्रेड पे रु १९००/- में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर वाहन चालक के पद पर पदोन्नत/नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पदनाम	टीप
१	२	३	४
१	श्री सजय रैकवार, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर,
२	श्री विनोद रैकवार, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
३	श्री बजरंग मराठी, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
४	श्री रामश्याम कार्ही, भृत्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर
५	श्री वसीम अहमद, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य	वाहन चालक	रिक्त पद पर

- यह कि, वे शपथ ले कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें उसकी सूचना रजिस्ट्री को एक माह पूर्व देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
- यह कि, उनकी सेवाये पूर्णतः अस्थाई है तथा वे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
- यह कि, उनकी नियुक्ति इस उपबन्ध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता एवं नेत्र परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र का व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा।
- यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायाधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
- यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्रार जनरल अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगे।
- यह, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ-सुथरी या सुरक्षित रखने एवं समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुसार डिस्टिल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- यह कि, नियमानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायसेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायसेंस अपने पास रखें।
- यह कि उन्हें घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,

Sd/-
(मों फहीम अनेवर)
रजिस्ट्रार जनरल
Per